समक्षः न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2016–17/निगरानी R-1326-II-17

लखराम पुत्र हरजी जाति बैरवा
निवासी ग्राम कौशलपुर तह. बडौदा
जिला श्योपुर म.प्र.

................निगरानीकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

................अनावेदक

अंतर्गत म.प्र.भू.राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्योपुर के प्र.क्रं. 54/10–11/170ख में पारित आदेश दिनांक 03.03.2011 के विरूद्व

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

यह कि ग्राम फिलोजपुरा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 308 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा जो पूर्व में रूग्गा पुत्र जैल्या के नाम पर थी किन्तु मौके पर निगरानीकर्ता काबिज होकर खेती करता चला आ रहा था। उक्त भूमि के पट्टे खारिज बावत् निगरानीकर्ता द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्योपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो न्यायालयीन प्रकरण कमांक 231/99–2000/अ.मा. पर दर्ज हुआ था । माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा उक्त अपील निरस्त कर दी गई थी। उक्त आदेश के विरूद्व श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय श्योपुर के समक्ष निगानी प्रस्तुत की र्ग जो श्रीमान अपर, कलेक्टर महोदय द्वारा न्यायालयीन प्र.क्रं. 149/2000–01/निगरानी में लेकर दिनांक 30.07.01 से उक्त विवादित भूमि पर से रूग्गा पुत्र जैल्या आदिवासी का पट्टा निरस्त करते हुऐ उक्त भूमि को शासकीय घोषित कर दिया था। इस पश्चात लखराम द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय श्योपुर के समक्ष विधिवत पट्टा प्राप्त करने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को सुनवाई में लेते हुऐ न्यायालयीन प्र.क्रं48/2000–01/अ–19 से आदेश दिनांक 04.09.2001 को विधिवत पट्टे पदान किये गये तभी से निगरानीकर्ता उक्त भूमि पर काबिज होकर निरन्तर खेती करता चला आ रहा था। निगरानीकर्ता द्वारा किसी भी आदिवासी की भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया है उसको तो विधिवत पट्टा प्रदान किया गया है। प्रार्थी को अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्योपुर के प्रकरण की कोई जानकारी थी उसे तो तब पता चला जब मौके पर पटवारी और राजस्व निरीक्षक महोदय कब्जा दिलवाने पहुंचे, उक्त प्रकरण पर साक्षी के फर्जी हस्ताक्षर कर रखे थे तथा जिन आदिवासी की जमीन होना बता रहे है वे लोग भी उक्त प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये है। उसके बावजूद भी मनमाने तौ पर उक्त विवादित आदेश पारित कर दिय गा है इसलिये उक्त आदेश से दुखित होकर श्रीमान जी के समक्ष उक्त निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

कमंशः..........2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग/ 1326/ II/ 17/ श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
4 .2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 54/170 ख/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 03.03.11 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 29/3/19 सदस्य अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना	